	अपील/डिक्री/टी0ए0/10294/2000/जयपुर रामेश्वर वगैरा बनाम गोपी व अन्य	तारीख हुक्म

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित–

श्री योगेन्द्रसिंह अभिभाषक, अपीलांट।
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, रेस्पो0।
श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, अधिवक्ता, रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः– 16–10–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं0 57/1995 में पारित निर्णय दिनांक 01–11–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश, सांभर के समक्ष वादीगण ने एक दावा इस्तकरारहक का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 528 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम केसरीसिंहपुरा, तहसील दूदू में स्थित है, जिसे वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इन्कार किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद में तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24–9–1979 को वाद वादी खारिज कर दिया गया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रामानन्द अपीलांट वगैरा ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8–1–1986 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए सहायक जिलाधीश सांभरलेक का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–9–79 निरस्त कर वाद वादी विरूद्ध रेस्पो0 डिक्री कर दिया रेस्पो0 ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 8–1–1986 से व्यथित होकर मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय न्यायालय के निर्णय दि0 8–1–86 को निरस्त कर अपीलीय न्यायालय के यहां अपील पुनः निर्णय हेतु लौटा दी गई। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01–11–1999 से अपील अपीलांट खारिज कर दी गई जिस निर्णय व

	अपील/डिक्री/टी0ए0/10294/2000/जयपुर रामेश्वर वगैरा बनाम गोपी व अन्य	तारीख हुक्म
	डिक्री दिनांक 1-11-1999 व 24-9-79 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। 4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम नहीं की। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बन्दोबस्त पर्ची को तथा उसके आधार पर बनायी गयी जमाबन्दी के आधार पर वाद निर्णित किया है जबकि वादीगण/अपीलांट ने बंदोबस्ती रेकार्ड को ही चुनौती दी है। विद्वान परीक्षण न्यायालय को बन्दोबस्ती पर्चा के पूर्व के राजस्व रेकार्ड को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का वाद निर्णित करना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बन्दोबस्ती के पर्चे एवं उसके बाद के तैयार किये हुए राजस्व रेकार्ड को ही आधार मानकर अपीलांट की अपील निर्णित करने में कानूनी भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय का आधार बनाया है, उस पर्चे में न तो विवादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर ही है और न ही विवादग्रस्त भूमि के पड़ोस के नंबर दर्ज किये गये हैं। पर्चा प्रतिवादीगण ने सिद्ध नहीं कराया है। अपीलांट ने जो साक्ष्य बन्दोबस्त के पूर्व प्रस्तुत किये उसमें विवादित भूमि पर काश्त केवल वादीगण/अपीलांट की दर्ज है न की प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में वादी सं0 3 द्वारा काश्त करना स्वीकार किया है एवं उन्होंने अपने जवाबदावे में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण के कहने से वो काश्त कर रहे हैं लेकिन उस समय की खसरा गिरदावरियां देखने से यह जाहिर है कि न तो प्रतिवादीगण इस भूमि के खातेदार है और न माफीदार या जागीरदार। दिनांक 15-10-1955 को या उसके पूर्व केवल वादीगण विवादित भूमि के खातेदार थे एवं तत्कालीन जागीरदार के काश्तकार थे। ऐसी स्थिति में बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके थे। विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय तनकी सं0 1 साक्ष्य के विपरीत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी सं0 2 का निर्णय करने में भी साक्ष्य को आधार नहीं माना और प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी पर बन्दोबस्त से पहले राजस्व रेकार्ड में नाम नहीं होते हुए भी उनके नाम पर्चा सही रूप से जारी किया जाना मानकर त्रुटि कारित की है। वादी के नाम जारी मूल पर्चा नष्ट हो जाने से वादीगण ने अपनी सैकेण्ड्री साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्चे की नकल प्रस्तुत की जिसको स्वीकार नहीं कर अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य अधिनियम के	

	अपील/डिक्री/टी0ए0/10294/2000/जयपुर रामेश्वर वगैरा बनाम गोपी व अन्य	तारीख हुक्म
	प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें। 5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का प्रतिउत्तर में तर्क है कि वादग्रस्त आराजी रेकार्ड में रेस्पो0 के नाम दर्ज है। सम्वत् 2011–2029 में आधा–आधा हिस्सा दर्ज है। सम्वत् 2008 की खसरा गिरदावरी में भी रेस्पो0 का नाम है। वादग्रस्त आराजी को पट्टे से मिलना बताया है जो गलत बताया है। वादग्रस्त आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय उचित एवं कानून सम्मत द्वारा पारित किये गये हैं जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है। उन्होंने अपने समर्थन में 1972 आर0आर0डी0 पेज 263, 1962 आर0आर0डी0 पेज 183, 1974 आर0आर0डी0 पेज 123, 1992 ए0आई0आर0 पेज 129 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया है। 7– हस्तगत अपील में विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–79 में माना कि वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपना 3/4 हिस्सा व भैरू का 1/4 हिस्सा होना जमाबन्दी, परचा, लगान आदि किसी से भी साबित नहीं कर सके। जहां तक जवाबी शहादत का प्रश्न है, दोनों ही पक्षों ने अपने–अपने हकों में प्रस्तुत की है। इसके विपरीत जमाबन्दी, परचा, लगान व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा साबित करती है तथा उनका हक बताती है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण का वाद काबिल लिहाज नहीं पाया है तथा मौजूदा इन्द्राज सही प्रतीत होते हैं। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। 8– अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01–11–1999 में माना कि अपीलांट/वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विश्लेषण में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। जहां तक सैकेण्डरी एवीडेन्स का प्रश्न है, उसका अस्तित्व प्रमाणित किये बिना ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का कोई भी न्यायोचित आधार नहीं बनता है और इस प्रकार इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय का मत पूर्णतया विधिसम्मत होने से	

	अपील/डिक्री/टी0ए0/10294/2000/जयपुर रामेश्वर वगैरा बनाम गोपी व अन्य	तारीख हुक्म
	अपील अपीलांट खारिज योग्य है। 9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल खतौनी जमाबन्दी ग्राम केसरीसिंहपुरा तहसील दूदू भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2011–2029 में कृषक के कॉलम नं0 4 में रामनन्दा व रामेश्वर पि0 बालू हि01/2 गोपी भूरा पि0 जगन्नाथ 1/2 कौम ब्रा0सा0देह दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम केशरीसिंहपुरा तहसील दूदू (एक्जी–पी–3, व पी–4) सम्वत् 2011, 2012 तथा अन्य में रामनन्दा व रामेश्वर पि. बालू हिस्सा बराबर 1/2 व गोपी व भूरा पि0 जगन्नाथ सा0देह हिस्सा बराबर 1/2 दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 में बंजड़ 4 बीघा 5 बिस्वा तथा गैहूं 15 बिस्वा अंकित हैं। विशेष विवरण के कॉलम में भैरू पुजारी हिस्सेदार दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013–2014 में रामनन्दा वगैरह हि01/2 गोपी वगैरह हि0 1/2 दर्ज है तथा विवरण में भैरू पुजारी दर्ज है। इसी प्रकार के इन्द्राजात अन्य नकल खसरा गिरदावरियों में भी हैं। पत्रावली में वादीगण/अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिनमें वादीगण सं0 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी के 3/4 हिस्से तथा वादी सं0 3 को 1/4 भाग का खातेदार दर्ज किया गया हो। अर्थात ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी वादीगण/अपीलांट के नाम दर्ज होना प्रकट होता हो। यदि वादीगण/अपीलांट में से किसी वर्ष में वादग्रस्त आराजी में किसी भाग पर भैरू की काश्त रही है तो महज काश्त दर्ज होने से अपीलांट भैरू को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट भैरू की काश्त का कथन भी विरोधाभाषी है क्योंकि कतिपय स्थानों पर सम्वत् 2014 व 2016 में भैरू पुजारी लिखा हुआ है जबकि सम्वत् 2033 में भैरू वल्द तेजा लिखा हुआ है। 10– अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य के विश्लेषण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। जहां तक सैकेण्डरी एवीडेन्स का प्रश्न है, उसका अस्तित्व प्रमाणित किये बिना ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का कोई भी न्यायोचित आधार नहीं बनता है और इस प्रकार इस बिन्दु पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत हैं। 11– अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों इस प्रकरण पर लागू होते हैं। 12– स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद सही खारिज किया गया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील	

	अपील/डिक्री/टी0ए0/10294/2000/जयपुर रामेश्वर वगैरा बनाम गोपी व अन्य	तारीख हुक्म

प्राधिकारी, जयपुर द्वारा सही रूप से बहाल रखने की पुष्टि की है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

13- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान सहायक जिलाधीश सांभर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-9-1979 एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01-11-1999 यथावत रखी जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य

	अपील/डिक्री/टी0ए0/10294/2000/जयपुर रामेश्वर वगैरा बनाम गोपी व अन्य	तारीख हुक्म